

BEFORE THE BOARD OF REVENUE, MADHYA

PRADESH, GWALIOR (M.P.)

क्रि.सं. - 3100/2018/आ.सि.सं. 1/25-25

Revision No. _____ Of 2018

Petitioner:

Gwalior Tower Pvt. Ltd. Industrial State
Birlanagar Through Ashok Gupta,
Rajendra Gupta Both S/o Shri Narayan
Das Gupta R/o 423, Birla Nagar,
Gwalior (M.P.)

Pallav Singh
Adv.

Vs.

Respondents:

- 1- State of Madhya Pradesh through
Collector, Gwalior District- Gwalior
(M.P.)
- 2- Sub Divisional Officer,
Jhansi Road, Gwalior (M.P.)
- 3- Tehsildar
Tehsil Gwalior District- Gwalior (M.P.)

श्री. पल्लव सिंघवी कर्मि
द्वारा आज दि. 21-5-18
प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 6-6-18 निवेदन।

बृज
क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-5-18
राजस्व मण्डल, ग.प्र. ग्वालियर

**Revision Under Section 50 of M.P.L.R.C against order dated
16.04.2018 passed in case No. 0086/B-12/2017-18 wherein lower
court below without according the opportunity of hearing to the
aggrieved passed the order impugned.**


The humble petitioner most humbly and respectfully submits the
revision as under:-

1. That, the order has been passed by Collector to the following
effect:-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-03100/2018/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-6-2018	<p>उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। कलेक्टर, जिला ग्वालियर के आदेश दिनांक 16-4-2018 का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा कलेक्टर के आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है, अतः निगरानी इसी आधार पर अग्राह्य किये जाने योग्य है। कलेक्टर द्वारा प्रकरण बी-121 मद में दर्ज कर अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं, जो कि प्रशासनिक स्वरूप का आदेश है। कलेक्टर के निर्देशों के पालन में कार्यवाही की जाना है, जहां आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है, अतः आवेदक वहां अपना पक्ष समर्थन कर सकता है। इस स्तर पर कलेक्टर के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।</p>	<p style="text-align: right;">  अध्यक्ष </p>